<u>**फार्म एफ–3**</u>

(नियम 3 (3))

<u>राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण</u>

(क) <u>राजकोषीय नीति का विहंगावलोकन</u> –

1. राज्य पुनर्गठन के पश्चात् राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर में लगातार बढ़ोतरी हुई है । राज्य द्वारा कृषि तथा सिंचाई के क्षेत्र में अधिक पूंजीनिवेश तथा राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये नई औद्योगिक नीति के माध्यम से राज्य में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है । इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार के कारण सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है । राज्य शासन की उक्त नीतियों के परिणाम स्वरूप राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के अनुरूप हासिल किये जाने की संभावना है ।

2. राज्य द्वारा किये जा रहे कर प्रयासों के बेहतर परिणाम परिलक्षित हुये हैं । गत पांच वर्षो में राज्य के कर राजस्व में औसतन 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि रही है । इस वृद्धि के कारण वर्ष 2004–05 से निरंतर राजस्व अधिशेष की स्थिति में रहा है ।

3. राज्य के करेत्तर राजस्व संग्रहण हेतु किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप गत वर्षो में इस मद में 26 प्रतिशत की औसतन वार्षिक वृद्धि रही है । करेत्तर राजस्व में खनिज संसाधनों से प्राप्त राजस्व में अपेक्षा के अनुरूप वृद्धि हुई है । सिंचाई कर में औद्योगिक प्रयोजनों हेतु अग्रिम जलकर की राशि के प्रावधान के कारण अधिक वृद्धि परिलक्षित हो रही हैं ।

4. राज्य के गैर विकासोन्मुखी व्यय को गत वर्षो में सीमित रखा गया है । राजस्व मद में वेतन, पेंशन तथा ब्याज के अतिरिक्त अन्य मदों में सीमित वृद्धि परिलक्षित हुई है । धान उपार्जन के क्षेत्र में राज्य द्वारा दी जा रही प्रमुख आर्थिक सहायता राज्य के गरीब किसानों को बेहतर मूल्य देने के उद्देश्य से है । इसके अतिरिक्त राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु खाद्यान्न सुरक्षा मद में सहायता दी जा रही है । अन्य क्षेत्रों में आर्थिक सहायता को सीमित किया गया है । पेंशन के भविष्य की देयताओं को ध्यान में रखते हुये निधि का गठन किया गया है तथा केन्द्र सरकार के अनुरूप अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है । पदों के युक्तियुक्तकरण के द्वारा वेतन पर व्यय को सीमित किया गया है ।

5. राज्य गठन के पश्चात् प्रारंभिक वर्षो में अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के प्राप्त ऋणों के दायित्व को कम करने के लिये राज्य द्वारा उच्च ब्याज वाले ऋणों का अग्रिम भुगतान कर राज्य की ऋण ग्रस्तता को काफी कम किया गया है । नये ऋणों हेतु राज्य की ऋण संवनीहयता के आधार पर आंकलन तथा विवेकपूर्ण प्रबंधन तथा सार्वजनिक उपक्रमों को बजट के माध्यम से न्यूनतम ऋण उपलब्ध करवाने की नीति से राज्य का ऋण तथा सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात संवहनीय है । राज्य के राजकोषीय घाटे का शत्–प्रतिशत उपयोग पूंजीगत आस्तियों हेतु किया जा रहा है ।

6. नवीन राज्य की प्राथमिकताओं के अनुरूप आयोजनागत व्यय में पूंजीगत आयोजना व्यय पर विशेष जोर दिया गया है । गत छैः वर्षो में राज्य की आयोजना सीमा

में लगभग चार गुना वृद्धि हुई है । राज्य की आयोजना के वित्त पोषण में गैर आयोजना राजस्व अधिशेष के अनुपात में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है जो यह परिलक्षित करता है कि राज्य द्वारा बनाई गई नीति में गैर आयोजना राजस्व व्यय को नियंत्रित किया गया है ।

7. राजकोषीय स्थायित्व तथा सम्पोषणीयता सुनिश्चित करने तथा राजकोषीय अनुशासन में रहने के उद्देश्य से राज्य विधानसभा द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 पारित किया गया है जो कि सितम्बर, 2005 से पूरे राज्य में प्रभावशील है । इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उधारों तथा प्रत्याभूतियों की सीमा का निर्धारण तथा राजस्व घाटा व वित्तीय घाटा को सीमित किया जाकर राज्य में राजकोषीय स्थायित्व की स्थिति निर्मित करना है ।

(ख) <u>आगामी वित्तीय वर्ष हेतु राजकोषीय नीति</u> -

8. वर्ष 2011-12 के बजट में राज्य द्वारा निम्नांकित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर राजकोषीय नीति के अनुपालन का प्रयास किया गया है ।

(i) आर्थिक विकास को बनाये रखते हुये सामाजिक क्षेत्र के विकास पर भी विशेष जोर दिया गया है ।

(ii) कर तथा करेत्तर राजस्व में और अधिक वृद्धि करना, जिससे राजस्व अधिशेष सकल घरेलू उत्पाद के वर्तमान स्तर से अधिक हो तथा वर्ष 2011-12 के लिये राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005 में निहित लक्ष्यों के अनुरूप हो ।

(iii) राज्य द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता हेतु प्राथमिकतायें तय करते हुये उस आधार पर राशि उपलब्ध करवाना ।

(iv) आयोजना व्यय का वित्त पोषण निर्धारित ऋण सीमा में किया जाना तथा गैर आयोजना व्यय को सीमित रखते हुये स्वयं के संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग किया जाना ।

(v) ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लाने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाना जिससे राजकोषीय घाटा के निर्धारित लक्ष्य को हासिल किया जा सके ।

9. कुछ राजकोषीय नीति के उपायों का विवरण नीचे दिया गया है -

<u>कर नीति</u> -

10. करों के युक्तियुक्तकरण, सरलीकरण तथा कर प्रशासन को अधिक सुदृढ़ कर कर राजस्व में गत वर्षो में अपेक्षा अनुरूप वृद्धि हुई है । इस नीति को इस वर्ष भी जारी रखा जावेगा ।

<u>व्यय नीति</u> –

11. राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में उपलब्ध सेवाओं का स्तर तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की बाहुल्यता को देखते हुये वर्ष 2011–12 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर दिया गया है । इस वर्ष सामाजिक क्षेत्र हेतु राज्य के कुल व्यय का लगभग 46 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है । यह प्रावधान मुख्यत: खाद्यान्न सुरक्षा हेतु आर्थिक सहायता, महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ियों के भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, स्कूल भवनों का सुदृढ़ीकरण तथा शालाओं के उन्नयन में किया गया है । तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये नवीन पॉलीटेक्निक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रावधान है ।

12. राज्य का एक बड़ा इलाका नक्सल समस्या से ग्रसित है । इस समस्या से निपटारे हेतु विशेष प्रावधान किया गया है । इस हेतु पुलिस के बजट में चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में 26.38 प्रतिशत अधिक का प्रावधान किया गया है ।

13. अधोसंरचना विकास के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क तथा पुलों का निर्माण, ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण तथा ग्रामीण अधोसंरचना के निर्माण पर केन्द्रित किया गया है । कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण कृषि पम्पों के स्थापना हेतु भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

<u>उधारियां और अन्य देयतायें, उधार देना और निवेश</u> –

14. राज्य के राजकोषीय घाटे के वित्त प्रबंधन हेतु लिये जाने वाले आंतरिक तथा केन्द्र सरकार से ऋण के संबंध में राज्य की नीति गत वर्षो के अनुरूप ही है । राज्य की ऋण सीमा तथा राजकोषीय घाटे के अनुमान के आधार पर वर्ष 2011–12 हेतु उधारियों का आंकलन किया गया है । राष्ट्रीय अल्प बचत कोष से राज्य को जारी विशेष प्रतिभूतियों के एवज में प्राप्त होने वाले ऋण की ब्याज दर अधिक होने के कारण राज्य द्वारा अल्प बचत योजनाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा हैं । आशा हैं इससे इस मद में ब्याज भुगतान में आने वाले वर्षो में अधिक वृद्वि नहीं होगी । इस आधार पर की गयी गणना के हिसाब से वर्ष 2011–12 हेतु ऋणों के शोधन पर राशि ` 1042.70 करोड़ का व्यय अनुमानित है ।

15. राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले संस्थागत ऋण मुख्यत: अधोसंरचना विकास तथा सहकारी क्षेत्र की योजनाओं हेतु हैं तथा शेष लोक ऋण एन.एस.एस. एफ. ,बाजार उधार तथा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु हैं । संस्थागत ऋणों की औसत परिपक्वता संरचना 7–8 वर्षो की, बाजार उधारों की दस वर्षो हेतु तथा एन.एस.एस.एफ. की 25 वर्षो के लिये है । 01 अप्रैल, 2005 के बाद अनुबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु बैक–टू–बैक आधार पर ऋण प्राप्त हो रहा है । इन ऋणों की परिपक्वता अवधि 20 वर्ष की है । इस मद में अभी नवीन परियोजना हेतु अनुबंध न होने से तथा पुरानी परियोजनाएँ लगभग पूर्णता की ओर होने से ऋण प्राप्ति में कमी आयी हैं ।

16. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विशेष प्रयोजनों हेतु राज्य शासन द्वारा ऋण के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवायी जाती है । राज्य शासन द्वारा एस.पी.व्ही. माध्यम से अभी तक ऋण नहीं लिया गया है । वर्ष 2011-12 हेतु विभिन्न योजनाओं हेतु सहकारी बैंकों, समितियों, निगमों के लिये ` 1187.13 करोड़ व्यय का प्रावधान है । विभिन्न उपक्रमों, बोर्ड, निगमों में राशि ` 71.24 करोड़ के निवेश किया जाना है । निवेश इस संस्थाओं के ऋण लेने की क्षमता में वृद्धि में सहायक होगा ।

17. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न क्रियाकलापों हेतु बजटीय पोषण हेतु कोई व्यय प्रायोजित नहीं है । राज्य शासन के विभिन्न क्रियाकलापों को संचालन करने के लिये इन उपक्रमों को बजट से सहायता प्रदान की जाती है ।

संचित शोधन निधि -

18. राज्य द्वारा बाजार उधारों की परिपक्वता की भविष्य की देयताओं को पूर्ण करने के लिये वर्ष 2001-02 में संचित शोधन निधि का गठन किया गया है ।इसमें मार्च, 2010 तक ` 796.94 करोड़ की राशि धनवेष्ठित की गयी है । वर्ष 2010-11 तथा वर्ष 2011-12 हेतु इस निधि में राशि ` 100 करोड़ का धनवेष्ठन किये जाने का प्रावधान है ।

आकस्मिक व्यय और अन्य देनदारियां -

19. अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य में विभिन्न निगमों, बोर्ड, संस्थाओं को राज्य शासन की प्रत्याभूति पर ऋण उपलब्ध करवाया गया था । छत्तीसगढ़ राज्य में कई निगमों आदि का गठन न करने के राज्य शासन के फैसले के कारण अविभाजित राज्य की इन निगमों के दायित्वों के छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से की देनदारियों को राज्य बजट के माध्यम में चुकाये जाने की व्यवस्था है । विशेष प्रयोजन उधार लिये जाने की आवश्यकता पूर्व में दृष्टिगत नहीं हुई है । भविष्य में इस मद में आवश्यकता के आधार पर नीतिगत निर्णय लिया जावेगा । राज्य गठन के पश्चात् दी गई प्रत्याभूतियों का नियमित रूप से संबंधित संस्थाओं द्वारा भुगतान किये जाने के कारण इस मद में कोई राशि बजट के माध्यम से उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है । राज्य में अभी गारण्टी मोचन निधि का गठन नहीं किया गया है । राज्य शासन द्वारा दी जा रही प्रत्याभूतियों पर सामान्य तौर पर प्रतिवर्ष 0.5 प्रतिशत गारण्टी फीस ली जाती है ।

उपभोक्ता प्रभारों पर शुल्क -

20. सार्वजनिक सेवाओं के उपभोक्ता प्रभारों के शुल्क में वर्ष 2011-12 हेतु कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं किया गया है ।

(ग) <u>आगामी वर्ष के लिये कार्ययोजनागत प्राथमिकतायें</u> -

1. बकाया करों की वसूली के लिये विशेष अभियान, करों के अपवंचन की प्रवृत्ति में कमी लाकर, तथा कर की दरों में सरलीकरण तथा करेत्तर राजस्व में विशेषकर वन, खनिज तथा सिंचाई के क्षेत्र में और अधिक राजस्व संग्रहण हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगें ।

2. व्यय प्रबंधन में गैर विकासोन्मुखी आयोजनेत्तर व्यय की वृद्धि पर सख्त नियंत्रण, स्थापना व्यय को निर्धारित सीमा से अधिक नहीं करना, राज्य की आयोजनागत योजनाओं को औचित्य के आधार पर परीक्षण कर उनका युक्तियुक्तकरण पर ध्यान केन्द्रित किया जावेगा ।

3. लोक ऋण का प्रबंधन इस प्रकार से किया जावेगा ताकि ब्याज दायित्व पर अधिक बोझ न पड़े । संसाधन की उपलब्धता पर पुराने ऋणों का अग्रिम भुगतान कर ऋण देयता को कम करने का प्रयास किया जावेगा ।

(घ) <u>नीतिगत परिवर्तनों के लिये औचित्य</u> -

1. करों से संबंधित नीतिगत परिवर्तनों के औचित्य - राज्य शासन की इस नीति से गत वर्षो में राज्य के कर संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है अतः इन्हीं प्रयासों को जारी रखते हुये कर राजस्व के लक्ष्य को हासिल किये जाने की नीति उद्देश्यों के अनुरूप है ।

2. आर्थिक सहायता का बेहतर लक्ष्यीकरण कर उसको घटाने तथा जरूरतमंद तक इसको सीमित करने के साथ इसका दुरूपयोग रोकना मध्यावधिक उद्देश्यों के अनुरूप है । गैर उत्पादक व्यय में कमी लाना, स्थापना व्यय सीमित करना नीतिगत निर्णयों के अनुरूप है ।

3. लोक ऋण की संवहनीयता के आधार पर लोक ऋणों का उपयोग सुनिश्चित करना गत वर्षो की राज्य की नीति के अनुरूप ही है ।

4. सार्वजनिक उपयोगिता के लिये किसी प्रकार का परिवर्तन प्रस्तावित नहीं किया गया है ।

(ड.) <u>नीतिगत मूल्यांकन</u> -

1. सुदृढ़ आर्थिक प्रयासों ने राज्य को गत वर्षो में राजकोषीय असंतुलन की स्थिति से बचाया है । राज्य सरकार के कर राजस्व तथा सकल घरेलु उत्पाद में गत वर्षो में

उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है तथा आगामी वर्ष इस वृद्धि का अनुमान यथार्थ के करीब है ।

2. कर की दरों में युक्तियुक्तकरण, बेहतर कर प्रशासन, न्यायालयीन मामलों के त्वरित निराकरण तथा सरलीकरण करनीति के मार्गदर्शी सिद्धांत है । राज्य सरकार द्वारा इन नीतियों को अमल में लाने हेतु सभी प्रयास किये जायेगें ।

3. बजट में अंतर्निहित राजकोषीय नीति का सबसे महत्वपूर्ण ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियों की गिरावट की प्रवृत्ति को रोकते हुये, व्यापक कर सुधार तथा करेत्तर राजस्व में बढ़ोतरी कर राजस्व तथा राजकोषीय घाटे में कमी लाना है । गत वर्षो में कर सुधारों के प्रयास में मिली सफलता से यह संकेत मिलता है कि राजकोषीय स्थिति सुदृढ़ होगी ।